सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 16, मंगलवार, *शाके* 1947- मई 06, 2025 *Vaisakha 16, Tuesday, Saka 1947- May 06, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 30, 2025

जी.एस.आर. 14 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980 को निरसित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा (निरसन) नियम, 2025 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन.- राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980 तुरंत प्रभाव से निरसित किये जायेंगे।

[सं.एफ 1 (6) डीओपी/ए-II/83]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 30, 2025

G.S.R. 14 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules to repeal the Rajasthan District Gazetteers Service Rules, 1980, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan District Gazetteers Service (Repeal) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Repeal.- The Rajasthan District Gazetteers Service Rules, 1980 shall be repealed with immediate effect.

[No.F. 1(6)DOP/A-II/83]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.